

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक :- एफ. 11(1)/स्टोर/एनआरएचएम/स्टेशनरी/पार्ट-3/2011--12 | 16308 दिनांक :- १-३-११

निविदा सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन साजरथान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, राज. जयपुर कार्यालय द्वारा “जब आवश्यकता हो के आधार पर” लेखन सामग्री/कम्प्यूटर कन्जुमेबल सामग्री क्रय हेतु मोहरंबद निविदाये आमंत्रित की जाती है :—

क्र.सं.	आईटम	अनुमानित मूल्य	अमानत राशि	निविदा शुल्क
1.	लेखन सामग्री, कम्प्यूटर कन्जुमेबल सामग्री आपूर्ति हेतु	500000.00	10000.00	100.00

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित निविदा शुल्क का डीमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में बनवाकर दिनांक 25.04.2011 को अपरान्ह 12.00 बजे तक कमरा नं 204 द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर से प्राप्त कर दिनांक 25.04.2011 को ही अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाए उपस्थित निविदादाताओ/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 25.04.11 को सांय 4 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी।


 मिशन निदेशक,
 एन.आर.एच.एम.

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. **वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएँ** :— निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्त (डिस्चार्ज) होगी।
4. **बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र** :— कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/वेट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर/वेट पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर/वेट चूकती प्रमाण –पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
5. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता संविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्य में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं

उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।

7. **मूल्य अधिमान** :— मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के अद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा।
8. **विधिमान्यता** :— निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
9. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब. लैट) पर नहीं देगा।
11. **विनिर्देश** :— (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के शर्तों के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
(ii) क्रम संख्या 12 पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहाँ कोई मानकीकृत अनुमोदित नमूने न हों, वहाँ अत्युतम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होना।
(iii) **वारंटी/गारंटी खण्ड** :— निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगर के दिनांक से दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर

लिया है एवं/या उन्हें अनुमानित कर दिया है, यदि दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

12. सलंगन प्रपत्र अ के क्रम संख्या 1 से 4, 9, 10, 14, 15, 17 से 30, 31 से 36, 47, 48, 50, 51, 56 से 59, 62 के नमूने उपलब्ध कराये जाने हैं। प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएँगे।
13. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeite) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं

होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जाएंगे उन्हें समरप्त हत किया जाएगा। तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेरिटिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
16. रद्द करना :— (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देक, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।
17. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकारी होगा।
18. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसार, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।
19. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद

क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को आभलिखित करेगा।

20. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
21. (i) सुपुर्दगी अवधि :- निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, विभाग द्वारा आदेश करने की तारीख से 3 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा।
(ii) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।
(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने का हकदार नहीं होगा।
(iv) अनुबंध की अवधि अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिए होगी आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि आपसी सहमति से 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।
22. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :- (क) निविदा के साथ 10000/- रु0 की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–
(i) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक।
(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :- असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यशाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बयाना राशि से आंशिक छूट :— उन कर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मर्दों के सम्बंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण—पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, [विलोपित] निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के सम्बंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निष्केप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

23. बयाना राशि का सम्पहरण :— बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में सम्पहरत कर लिया जाएगा :—

- (i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
- (ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
- (iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- (iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मर्दों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

24. (i) करार एवं प्रतिभूति निष्केप :— (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5% के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।
(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

- (iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होते हैं:-
- (v) एक बार की खरीद के मामले में क्य आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
25. (i) समर्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5% की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।
- (ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
- (iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
- (iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
26. बीमा :- (i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे—युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।
27. भुगतान :- (i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामालों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठि गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वितीय शक्तियों में विहित की

गयी रसीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

- (ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- (iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
- (iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा। जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

28. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
- यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा। जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 - यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाप्ति नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
29. वसूलियाँ :- परिसमाप्ति नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय,

टूट-फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमाप्ति नुकसानों के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

30. मूल निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
31. निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी जिस पर लेखन सामग्री आपूर्ति कार्य के लिए निविदा अंकित होना चाहिये।
32. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान विभाग एक माह में करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।
33. निविदा के साथ अमानत राशि मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाईटी, जयपुर के पक्ष में बैकर चैक/डी0डी0 द्वारा स्वीकार्य होगी। अमानत राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा एवं निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
34. सफल निविदादाता को निविदा राशि के पॉच प्रतिशत राशि के समतुल्य सुरक्षित राशि राजकोष में जमा करानी होगी तथा नियमों के अनुसार करार पत्र 500/- रु0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
35. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान कार्यवाही की जावेगी।
36. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
37. निविदा फार्म में किसी प्रकार की कॉट छॉट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संशोधन किया जावे तो पुनः स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर इस पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होगे। काट छांट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द समझी जावेगी।
38. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक (एन.आर.एच.एम.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को होगा।

39. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य सतोषजनक नहीं करने पर मिशन निदेशक, एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्च पर पेनेल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही प्रतिभुति राशि भी जब्त की जा सकती है।
40. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 21.04.2011 को 12.00 बजे तक मिशन निदेशक, एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर के कार्यालय मे कमरा नं.0 204, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में प्राप्त किये जाकर दिनांक 21.04.11 को दोपहर 3.00 बजे तक स्वीकार किये जावेगे एवं दिनांक 21.04.2011 को 4.00 बजे उपस्थित निविदादाता फर्मों के समक्ष खोले जावेगें। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
41. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्त निविदा सूचना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानानुसार लागू होंगी।
42. आपसी सहमति से अनुबंध की समयावधि 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।

मिशन निदेशक,
एनआरएचएम

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर

लेखन सामग्री की वित्तीय दरें एक वर्ष के लिये

क्र०सं०	सामग्री का नाम	दर प्रति नग (रूपये में) (समस्त व्यय एवं कर सहित)
1.	फाईल कॅवर (टू-पीस) उत्तम क्वालिटी के मय छपाई	
2.	फाईल पैड उत्तम क्वालिटी के	
3.	फाईल लैस 24" / 9 X 24	
4.	प्लास्टिक फाईल कॅवर (फोल्डर)	
5.	डाक पुस्तिका-120 पेज मय गत्ता बाईचिंग	
6.	सफेद फ्लायूड (Whitener)	
7.	पेपर ए-4 फोटो स्टेट पेक 75 जीएसएम कागज।	
8.	पेपर एफ-एस फोटो स्टेट पेक 75 जीएसएम कागज।	
9.	डिस्पेच रजिस्टर 400 पेज मय गत्ता बाईचिंग	
10.	रिसिप्ट रजिस्टर 400 पेज मय गत्ता बाईचिंग	
11.	पोस्टएड 3x1 One Clour, 3x2	
12.	पोस्टएड 3x4 One Clour	
13.	पोस्ट एड स्लिप 3 कलर 20 mm x 75 mm	
14.	स्पाईरल पैड 6" x 9" = 25 Pages	
15.	स्पाईरल पैड थ्री कलर 7" x 8" = 100 Pages	
16.	फैक्स रोल	
17.	पंचिंग मशीन (छोटी) नं० 10	
18.	पंचिंग मशीन (छोटी) डी.पी. 540 8 CM	
19.	स्टेपलर छोटी साईज नं० 10	
20.	स्टेपलर बड़ी साईज नं० HD 45	
21.	स्टपैलर पिन 10 नं०	
22.	स्टपैलर पिन 24 नं०	
23.	लिफाफे 9X4 इंच मय छपाई-60 GSM Craft paper	
24.	लिफाफे 12X6 इंच मय छपाई-60GSM Craft paper	
25.	डाक पैड उत्तम क्वालिटी	
26.	पोकर प्लास्टिक हैडिल	
27.	प्लास्टिक जग अच्छी क्वालिटी	
28.	डस्टबीन प्लास्टिक	
29.	नोट शीट लीगल साईज मुद्रित लेजर पेपर GSM100 शीट प्रति पैड मय मुद्रण	
30.	फाईल टैग अच्छी क्वालिटी	
31.	स्टाम्प पैड 110 x 70 MM	
32.	स्टॉक रजिस्टर 400 पेज मय गत्ता बाईचिंग	

क्र०स०	सामग्री का नाम	दर प्रति नग (रुपये में) (समस्त व्यय एवं कर सहित)
33.	पिन कुशन प्लास्टिक	
34.	गोद की बोतल 700 एम०एल	
35.	ऑलपिन पैकेट	
36.	रजिस्टर लाईनदार 200 पेज मय गत्ता बाइंडिंग	
37.	यू पिन प्लास्टीक	
38.	पेसिल	
39.	सैलो टैप 2 इंच	
40.	सैलो टैप 1 ^{1/2} इंच	
41.	सैलो टैप 1 इंच	
42.	सैलो टैप 1/2 इंच	
43.	गम स्टिक 15 ग्राम.	
44.	रिफिल ऐड जैल पेन	
45.	रिफिल पेन (0.45)	
46.	पेन यूनिबोल	
47.	पेन सादा रिफिल	
48.	पेन सादा	
49.	पैसिल सैल	
50.	पेपर वेट ग्लास	
51.	पेपर वेट प्लास्टिक	
52.	स्कैल-12" प्लास्टिक	
53.	टेबल टोप ग्लास (2 एमएम)	
54.	टेबल टोप ग्लास (8 एमएम)	
55.	Electric bell with remote	
56.	Marker Pen	
57.	Highlighter	
58.	Correcting Pen	
59.	Calculator- 12 Digit	
60.	पेन एडजेल / पाइलेट	
61.	व्हाईट बोर्ड मार्कर	
62.	Extension Code 5 Amp. For 5 point 10 मीटर वायर	
63.	पैन ड्राईव 8 जी बी	
64.	पैन ड्राईव 4 जी बी	
65.	पैन ड्राईव 2 जी बी	
66.	कम्पूटर माउस	
67.	ब्लेन्क सी.डी. री-राईटैबल	
68.	ब्लेन्क सी.डी. राईटैबल	
69.	सी.डी. प्लास्टिक कवर	
70.	D.V.D.	

नई कार्टेज दरें

71.	कार्टेज- 88 ए HP	
72.	कार्टेज- 12 ए HP	
73.	कार्टेज- 15 ए HP	
74.	कार्टेज- 36 ए HP	
75.	कार्टेज- 49 ए HP	
76.	कार्टेज- 51 ए HP	
77.	कार्टेज- 53 ए HP	
78.	कैनन - 912	
79.	कैनन - EP-25	

कार्टेज रिफिल चार्ज, रिपेयर

80.	कार्टेज-12 ए – HP (1015,1022 प्रिंटर हेतु)	
81.	कार्टेज-15 ए-HP (1000 सीरिज प्रिंटर हेतु)	
82.	कार्टेज- 36 ए	
83.	कार्टेज- 49 ए	
84.	कार्टेज- 51 ए	
85.	कार्टेज- 53 ए	

कार्टेज ड्रम एवं अन्य रिपेयर कार्य हेतु दरें

86.	कार्टेज-12 ए – HP (1015,1022 प्रिंटर हेतु)	
87.	कार्टेज-15 ए-HP (1000 सीरिज प्रिंटर हेतु)	
88.	कार्टेज- 36 ए	
89.	कार्टेज- 49 ए	
90.	कार्टेज- 51 ए	
91.	कार्टेज- 53 ए	
92.	टोनर फोटो कापियर (5834 जिरोक्स मेक)	
93.	टोनर फोटो कॉपियर (5821 जिरोक्स मेक)	

कॉट्रेज रिफिलिंग के साथ उसमें ड्रम, चिप, PCR यदि चेन्ज होती है तो उनकी दरें
अलग-अलग अंकित करनी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी जयपुर (एन.आर.एच.एम.)
राजस्थान, जयपुर

कार्य की अनुमानित लागत रुपये 5.00 लाख
अमानत राशि रुपये 10000/-
निविदा प्रपत्र शुल्क— 100 रुपये

अंतिम तिथि—

लेखन सामग्री सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र (एक वर्ष हेतु)

1. लेखन सामग्री व अन्य सामग्री क्रय के लिए निविदा
 2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
 3. डाक का पता, टेलीफोन नं 0 एवं TAN No
 4. किसको संबोधित किया गया — मिशन निदेशक, एनआरएचएम, (राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
 5. निविदा सूचना संदर्भदिनांक.....
 6. निविदा फार्म शुल्क की राशि ₹0 100 मिशन निदेशक, एनआरएचएम, राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में बैकर चैक / डी.डी. द्वारा जमा करा दी गई है।
 7. हम, परियोजना निदेशक, एनआरएचएम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्यादिनांक..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) .
 8. निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' में दर्शाई गई दरें सभी कर एवं शुल्क सहित अंकित करें। अलग से कर की दरे अंकित करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। दरें शब्दों एवं अंकों में दी जावेगी।
 9. सामग्री जिसके लिए निविदादाता अपनी दरे प्रस्तुत करता है, उसके नमूने पृथक से सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे।
 10. प्रपत्र 'अ' में दी गई दरें अनुमोदन की तिथी से एक वर्ष तक के लिए मान्य है तथा सामान विभिन्न चरणों में विभाग की आवश्यकतानुसार आपूर्ति करवाया जा सकता है।
 11. निविदा सूचना में अंकित राशि रुपये 10000/- अमानत राशि के रूप में राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में बैकर चैक/बैंक ड्राफ्ट निविदा फार्म के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—
- | कठसं | विवरण | राशि (रुपये में) |
|------|-------|------------------|
| | | |

12. निविदा फार्म के साथ बिकी कर पंजीकरण प्रमाण पत्र व चालु वर्ष का वेट चुकता प्रमाण पत्र तथा आयकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।
14. निविदा के साथ अमानत राशि, नमूने आदि नहीं होने तथा विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वतः ही रद्द मानी जावेगी।
15. आदेश के अनुसार सामान की आपूर्ति 3 दिवस में करनी होगी। आदेश जयपुर स्थित पते पर दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक